छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

//अधिसूचना//

दिनांक 10-09-2013

क्रमांक F 10-09/2013/16 असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :-

(अ) **योजना का प्रावधान** :-

(i) योजना का नाम **"मुख्यमंत्री कोटवार सायकल एवं टार्च सहायता योजना"** होगा।

(ii) योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत असंगठित कर्मकारों के कोटवार प्रवर्ग को सायकल हेतु रूपये 3,000/- अथवा सीएसआईडीसी द्वारा सायकल हेतु निर्धारित दर जो कम होगा एवं टार्च हेतु रूपये 750/- प्रति व्यक्ति प्रदाय किया जावेगा।

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) **योजना हेतु पात्रता** :-

(i) योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसी भी जिले में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीकृत हो, को प्रदाय किया जावेगा।

(ii) पंजीकृत असंगठित कर्मकार कोटवार वर्ग की आयु 18 से 60 वर्ष आयु समूह।

(iii) मंडल द्वारा लागू सायकल सहायता योजना तथा राज्य शासन के अन्य विभागों द्वारा लागू किये गये किसी अन्य योजनान्तर्गत सायकल एवं टार्च सहायता/लाभ न प्राप्त किया हो।

(iv) योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नही मिलेगा।

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रकिया**

(i) आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर।

2483
10/9/13

(ii) आवेदन में पंजीयन कमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।
(iii) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत किये गये अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा।

(द) **स्वीकृति का अधिकार :-**

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर, सहायक श्रम आयुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारी की समिति का होगा।

(ई) **विसंगति का निराकरण-**

(i) योजना में उल्लेखित शर्तो/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी0आर0 मालवीय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृ0क0 F 10-09/2013/16
रायपुर, दिनांक 10 09-2013

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. सचिव सह श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
7. उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
8. कलेक्टर, जिला .... (छ0ग0)
9. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
10. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी .... (छ0ग0)
11. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....(छ0ग0)
12. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग